न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2025/1451

1. फूलचन्द पुत्र श्री प्रभाता, जाति गुर्जर, निवासी ग्राम नानगवास, तन दरीबा, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर, राजस्थान।

– अपीलान्ट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नीम का थाना, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर।

– रेस्पोंडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर ने मुकदमा संख्या 2946/2021 निर्णय दिनांक 18.12.2021 जो प्रार्थना पत्र धारा 131 व 132 भू राजस्व अधिनियम बाबत् उनवानी सरकार जरिये तहसीलदार नीमकाथाना बनाम गै0मु0 रास्ता कैम्प दरीबा में रास्ते सम्बन्धी प्रकरण के विरूद्व पारित किया गया।

उपस्थित :–

1. श्री हजारी लाल शर्मा, वकील अपीलान्ट।
2. राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट नं. 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक–15.10.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर. के निर्णय दिनांक 18.12.2021 के खिलाफ प्रार्थना–पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम एवं प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. के साथ दिनांक 16.06.2025 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि तहसीलदार (भू0अ0) नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प दरीबा में आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु ग्राम नानगवास पटवार मण्डल दरीबा स्थित भूमि खसरा नम्बर 607 में रास्ता नानगवास जोहड़ी से कांकड़ के तिबारा की ओर तक का प्रस्ताव, राजस्व रिकार्ड मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावें एवं नक्शें में तरमीम की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2021 पारित किये गये।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

3. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 18.12.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट फूलचन्द पुत्र श्री प्रभाता द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर

अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर दिनांक 18.12.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.12.2021 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना, सीकर विधि विधान एवं पत्रावली तथ्यों के विपरित होने के कारण निरस्तनीय है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना अनुचित अवैध तथा परवर्स निर्णय पारित किया है। जो प्रथम दृष्टया ही निरस्तनीय है। यह तथ्य निर्विवाद है कि पटवारी हल्का ने मौके की कोई जांच नही की, ना ही जांच के संबंध में अपीलान्ट को कोई नोटिस दिया गया, ना मजमे आम का कोई सार्वजनिक नोटिस ही दिया गया एवं गिरदावर हल्का ने भी कोई जांच मौके पर नही की एवं ना ही तहसीलदार जी द्वारा सत्यता की जांच की गई ओर प्रोफार्मा में केवल फिल इन द ब्लेंक भरते हुए समस्त कार्यवाही बिना मौके की जांच किये कि गयी। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना ने भी कोई नोटिस अपीलांट को न देकर एवं मौके की कोई जांच न कर दिनांक 18.12.2021 को ही अपना आदेश प्रसारित (पारित) कर दिया। उक्त समस्त कार्यवाही बिना मौके की जांच पडताल किये व बिना पीडित व प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस दिये व सुनवाई का समुचित अवसर दिये बिना की गई है। जो सरासर न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्तों के विपरित होने से निरस्तनीय है। अपील के साथ आराजी खसरा नम्बर 607 के संलग्न नजरी नक्शा में पीले रंग से दर्शाये गये स्थान पर अपीलान्ट सहित काफी ग्रामवासीयों के लगभग 30–40 साल पुराने मकान बने हुये है। उक्त संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाये गये स्थान पर अधिकतर जगह पर लगभग दर्जन भर मकानात, बाउण्ड्रीवाल व पक्का निर्माण हो रखा है। जिसमें अपीलान्ट का भी पट्टीपोश पत्थरों का पक्का पुख्ता मकान लगभग 30–40 साल से बना हुआ है। जो मकान प्रार्थी के पिता प्रभाता ने अपनी स्वयं की आय से बनवाया था। तथा उक्त मकान में अपीलान्ट के पिताजी के नाम से लगभग 25 साल पूर्व का ही बिजली का कनेक्शन लगा हुआ है। लेकिन उक्त समस्त तथ्यों की जांच किये बिना तहसीलदार नीम का थाना ने मौके के विपरित उक्त पीले रंग से दर्शाये गये स्थान पर आम रास्ता बताते हुये परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के तहत अधीनस्थ न्यायालय में रास्ता के प्रस्ताव भेज दिये गये। जबकि उक्त खसरा नम्बर 607 में बारहमासी प्रचलित आम रास्ता नजरी नक्शा में लाल डोटेड लाईन से दर्शाये गये स्थान पर सालों पुर्व से चालू है तथा वर्तमान में भी उक्त लाल डोटेड लाईन से दर्शाये गये स्थान पर ही मौके पर रास्ता चालू है। जिसका उपयोग–उपभोग अपीलान्ट सहित समस्त ग्रामवासी व आमजन कर रहे है। लेकिन तहसीलदार नीम का थाना द्वारा मौके के विपरित भेजे गये रास्ता के प्रस्ताव की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने स्तर पर कतई जांच नही करवाकर व पीडित व प्रभावित पक्षकारों को कतई सुनवाई का अवसर प्रदान नही कर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है जो सरसरी तौर पर ही निरस्त किये जाने योग्य है।

परिपत्र दिनांक 10.08.2016 का जो मुख्य उद्देश्य है वह यह था कि किसी भी भूमि में से मौके पर स्थायी सार्वजनिक रास्ते जो बाहरमासी है तथा मौसम/ऋतूओं के अनुसार बदलते नही तथा आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध है, कई जगह कच्ची या पक्की सड़क भी बन गयी है के बाबत जारी किया गया था। उक्त परिपत्र के अनुसार अपील के साथ संलग्न नजरी नक्शा खसरा नम्बर 607 में लाल डोटेड लाईन से दर्शाये गये स्थान पर स्थायी व सार्वजनिक रास्ता बाहरमासी काफी सालों

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

से चालू है तथा वर्तमान में भी उक्त लाल डोटेड लाईन से दर्शाये गये स्थान पर ही रास्ता चालू है। जिसमें मोहरम इत्यादि भी डालकर कच्ची सड़क बना रखी है। तथा पीले रंग से दर्शाये गये स्थान पर अपीलान्ट सहित अन्य ग्रामीणों के पुख्ता मकानात बने हुये है। जिसमें मौके पर अपीलान्ट परिवार सहित व अन्य ग्रामीण स्थायी निवास कर रहे है। लेकिन तहसीलदार नीम का थाना ने बिना मौका देखे ही मौके के विपरित रास्ता के प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में पेश कर दिये गये। जबकि संलग्न नजरी नक्शा में पीले रंग से दर्शाये गये स्थान पर ना तो कोई रास्ता पूर्व में था ना ही वर्तमान में है ओर ना ही चालू है तथा हल्का पटवारी द्वारा जो रिपोर्ट एकपक्षीय बिना मौके पर गये तैयार की गई है उससे भी स्पष्ट हो रहा है की तथाकथित रास्ता स्थायी व सार्वजनिक किसी भी प्रकार का मौके पर मौजूद नही है। तहसीलदार नीम का थाना व हल्का पटवारी व गिरदावर द्वारा तहसील कार्यालय में बैठे–बैठे ही बिना कोई मौके की जांच किये व पीडित व प्रभावित व्यक्तियों को नोटिस दिये बिना व सुनवाई का अवसर दिये बिना प्रस्ताव/रिपोर्ट तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कतई ध्यान नही देकर अपीलाधीन निर्णय पारित करने में भारी भूल की है जो स्वतः ही निरस्तनीय है। कार्यालय ग्राम पंचायत दरीबा द्वारा जो प्रस्ताव पारित किये गये है वह ग्राम नानगवास में ग्राम नानगवास जोहडी से कांकड के तिबारा की ओर आने–जाने वाला रास्ता के बाबत लिये गये है। जो संलग्न नजरी नक्शा में लाल डोटेड लाईन से दर्शाये गये स्थान पर स्थित है। लेकिन तहसीलदार/रेस्पोडेन्ट ने मौके के विपरित पीले रंग से दर्शाये गये स्थान पर तथाकथित रास्ता बताते हुये गलत व मिथ्या प्रस्ताव/रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार नीम का थाना व ग्राम पंचायत द्वारा लिये गये प्रस्ताव की नियमानुसार जांच करवाकर मौके की वास्तविक रिपोर्ट तलब कर व मौके पर रास्ता की जांच इत्यादि करवाकर कार्यवाही की जानी चाहिये थी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कुछ भी जांच पडताल नही कि गई ना ही संबंधित व हितबद्व व पीडित पक्षकारों को नियमानुसार सुनवाई का अवसर दिया गया। जिससे भी अपीलाधीन निर्णय खारिज किये जाने योग्य है।

तहसीलदार नीम का थाना द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत रास्ता के प्रस्ताव/रिपोर्ट इसलिये भी मिथ्या साबित हो रही है कि पूर्व में तो तहसीलदार ने पीले रंग से दर्शाये गये स्थान पर रास्ता बताया गया है। तथा हाल ही तहसीलदार नीम का थाना द्वारा पीले रंग से दर्शाये गये स्थान पर काफी सालों पूर्व अपीलान्ट के पिता प्रभाता द्वारा निर्मित पक्का पट्टीपोश मकान को हटाने बाबत दिनांक 09.06.2025 को नोटिस जारी किया गया है। चूंकि तहसीलदार नीम का थाना द्वारा एक रिपोर्ट में तो संलग्न नजरी नक्शा में पीले रंग से दर्शाये गये स्थान पर चालू रास्ता बताते हुये रास्ता के प्रस्ताव/रिपोर्ट अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है। तथा दूसरी ओर उक्त स्थान के बाबत ही अपीलान्ट के पक्के मकान को खाली करने के नोटिस दिनांक 09.06.2025 को जारी किये गये है। चूंकि तहसीलदार द्वारा एक ही स्थान बाबत दो तरह की कार्यवाही की गई है। जिससे साफ जाहिर है कि या तो तहसीलदार द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रस्ताव मिथ्या बनाकर भेजे गये है या दिनांक 09.06.2025 को अपीलान्ट को जारी नोटिस की कार्यवाही मिथ्या की जा रही है। जिसका स्पष्टीकरण तहसीलदार/रेस्पोडेन्ट से लिया जाना आवश्यक है। सत्यता तो यह है कि संलग्न नजरी नक्शे में पीले रंग से दर्शाये गये स्थान पर अपीलान्ट व ग्रामीणों के पुख्ता पक्के मकानात् बने हुये है जिसमें पीढियों से परिवार सहित निवास कर रहे है तथा लाल डोटेड लाईन से दर्शाये गये स्थान पर काफी सालों से रास्ता चालू है जिसका उपयोग आमजन व ग्रामीण कर रहे है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार/रेस्पोडेन्ट द्वारा प्रस्तुत मौके के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

विपरित प्रस्ताव/रिपोर्ट के आधार पर पारित अपीलाधीन आदेश शुरू से ही निरस्तनीय है। भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 एवं राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 में भी व्यवस्था दी है। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन पहलू पर व प्रावधानों पर कतई विचार न कर निर्णय देने में भारी कानूनी भूल की है, जिससे भी अपीलाधीन निर्णय खारिज किये जाने योग्य है। यह कि परिपत्र के अनुसार जब तक मूल अधिनियम में परिवर्तन न हो तब तक उस परिपत्र के आधार पर कोई परिवर्तन नही किया जा सकता। लेकिन इस पहलू पर भी कोई विचार न कर अधीनस्थ न्यायालय ने अपील अधीन निर्णय देने में गम्भीर कानूनी भूल की है जो सरसरी तोर पर ही निरस्तनीय है। अपील अधीन निर्णय परिपत्र राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग क्रमांकःप.3 (2) राज–6/2003 /पार्ट/जयपुर दिनांक 10.8.2016 के तहत अपीलाधीन निर्णय पारित किया जाना अपीलाधीन निर्णय में अंकन किया गया है। तथा उक्त परिपत्र में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि राजस्व अभिलेख में अंकन राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60, 66 एवं 86 के प्रावधानानुसार किया जावेगा। यहाँ पक्षकार को इस निमित नियम 58 (3) के अनुसार किये गये दौरे की रिपोर्ट तथा पी–31 की प्रति समन द्वारा दी जायेगी। लेकिन अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को कतई नजर अंदाज करते हुये अपीलाधीन निर्णय अपनी मनमर्जी के अनुसार पारित किया है। जिसमें उक्त परिपत्र में दिये गये निर्देशों की अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कतई पालना नही की गई है। इसलिये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.12.2021 विधि विरूद्ध पारित कर बहुत भारी कानूनी भूल की है जिससे अपील अधीन निर्णय स्वतः ही निरस्तनीय है।

परिपत्र दिनांक 10.08.2016 में आदेशित किया गया है कि सार्वजनिक रास्तों का नियमानुसार जांच व निरीक्षण कर तहसीलदार द्वारा प्रार्थना–पत्र उपखण्ड अधिकारी को प्रस्तुत किया जावेगा। लेकिन तहसीलदार द्वारा मौके की जांच एवं निरीक्षण किये बिना मिथ्या तथ्यों व कथनों के आधार पर प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तथा जो प्रस्ताव/रिपोर्ट तहसीलदार, पटवारी व गिरदावर द्वारा तैयार की गई है वह बिना कोई मौके की जांच किये व बिना कोई पक्षकारों/प्रभावित पक्षकारों को नोटिस जारी किये व सुनवाई का अवसर दिये बिना तैयार की गई है। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट के निर्मितशुद्वा पक्के मकान जिसको संलग्न नजरी नक्शा में पीले रंग से दर्शाया है की भूमि में ना तो पूर्व में कोई सार्वजनिक रास्ता था, ना ही वर्तमान में कोई सार्वजनिक रास्ता है। लेकिन इन समस्त तथ्यों को नजर अंदाज करते हुये अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह कतई विधि सम्मत नही होने व मौके के विपरित होने से खारिज किये जाने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय ने पटवारी हल्का की रिपोर्ट, तहसीलदार जी के प्रस्ताव को अकाट्य प्रमाण मानकर पटवारी के कोई बयान दर्ज न कर व प्रभावित व हितबद्व पक्षकारों को नोटिस न देकर व सुनवाई का अवसर प्रदान नही कर निर्णय देने में गम्भीर कानूनी भूल की है। जिससे भी अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.12.2021 स्वतः ही निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है वह पत्रावली तथ्यों व पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड के विपरित व पत्रावली में मौजूद रिकार्ड को नजर अन्दाज करते हुये कानून के विपरित निर्णय पारित किया गया है, जिससे भी अपीलाधीन निर्णय निर्णय की तारीफ में नही आने से एवं प्राकृतिक न्याय एवं न्यायशास्त्र के सिद्वान्तों के विपरीत एवं सहज एवं प्राकृतिक नियमों के प्रतिकुल होने से निरस्तनीय है। अपीलाधीन निर्णय की जानकारी अपीलान्ट को पूर्व में नही रही है। दिनांक 09.06.2025 को अपीलान्ट को हल्का पटवारी ने बताया की आपके पक्के

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

मकान तोडने की कार्यवाही तहसीलदार जी द्वारा की जा रही है। तब अपीलान्ट ने हल्का पटवारी से कहा की हमारे मकान तो काफी सालों पूर्व में बने हुये है तो हल्का पटवारी ने बताया की आपके मकानों की भूमि में से रास्ता बताते हुये एसडीओ साहब के तहसीलदार जी द्वारा रिपोर्ट पेश करने पर एसडीओ साहब ने आपके मकानों की भूमि को रास्ता में करने के आदेश दे दिये है। इसलिये अब आपके मकानों को हटाकर रास्ता चालू करवायेगें। जिस पर अपीलान्ट के द्वारा एसडीओ कोर्ट में मालूमात कर पत्रावली की नकल लेने हेतु कार्यवाही करने पर दिनांक 11.06.2025 को अपीलाधीन निर्णय की अपीलान्ट को जानकारी हुई। तब अपीलान्ट ने अपीलाधीन निर्णय की नकले प्राप्त कर मुकदमें के खर्चे इत्यादि की व्यवस्था कर जयपुर आकर अपने अधिवक्ता से सम्पर्क कर जानकारी से अन्दर मियाद अपील माननीय न्यायालय में पेश कि जा रही है। तथा अपीलान्ट की ओर से मियाद से माफी दिये जाने का प्रार्थना–पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम का अलग से पेश किया जा रहा है। प्रकरण के तथ्यों एवं गुणावगुण को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कन्डोन किया जावे।

अपील के साथ संलग्न नजरी नक्शा में पीले रंग से दर्शाये गये स्थान पर अपीलान्ट के पिता द्वारा निर्मितशुद्धा पट्टीपोश पक्का मकान स्थित है। जिसमें अपीलान्ट के पिता के नाम से विधुत कनेक्शन लगा हुआ है। जिसमें अपीलान्ट अपने परिवार सहित सालों से स्थायी निवास करता आ रहा है। तथा वर्तमान में भी निवास कर रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट उक्त मकान में बहैसियत मालिक, स्वामी व काबिजदार निवास कर रहा है। तहसीलदार नीम का थाना द्वारा वास्तविकता के विपरित मिथ्या मौके के विपरित गलत रिपोर्ट/प्रस्ताव अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत कर दिये जाने से अपीलान्ट के निर्मितशुद्धा मकान की भूमि में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रास्ता के आदेश पारित कर दिये गये है। जबकि मौके पर रास्ता लाल डोटेड लाईन से दर्शाये गये स्थान पर सालों से चालू है। अधीनस्थ न्यायालय में तहसीलदार नीम का थाना द्वारा मिथ्या रिपोर्ट/प्रस्ताव भेज कर प्रार्थी/अपीलान्ट के मालिकाना, स्वामित्व व अधिकार व कब्जे के मकान में रास्ता के आदेश वास्तविकता के विपरित प्राप्त कर लिये जाने से रेस्पोडेन्ट उक्त अपीलाधीन आदेश की आड में अपीलान्ट को उसके निर्मितशुद्वा मकान से जबरन विधि विरूद्ध तरीके से बेदखल करने पर आमादा है। उक्त मकान का अपीलान्ट बहैसियत एकमात्र मालिक, स्वामी व काबिज अधिकारी चला आ रहे है तथा वर्तमान में भी उक्त मकान में काबिज होकर बहैयित मालिक, स्वामी व अधिकारी अपने परिवार सहित निवास कर रहा है। इसलिए उक्त मकान व भूमि में अपीलान्ट का कानूनन हक व अधिकार निहित होने से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 18.12.2021 से पीडित व प्रभावित व हितबद्ध एवं क्षुब्द (दुःखी) पक्षकार होने के कारण अपीलान्ट को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने का लोंकस स्टेण्डाई है। जिसके लिये अलग से धारा 96 सी०पी०सी० का प्रार्थना–पत्र अपील के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 18.12.2021 में बिना सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना व उनको पक्षकार बनाये बिना अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिससे अपीलान्ट सीधे रूप से प्रभावित पक्षकार है तथा प्रभावित पक्षकार होने के फलस्वरूप धारा 96 सी.पी.सी. के तहत अपील पेश करने के अधिकारी है जिसकी अनुमति अपीलान्ट को प्रदान किया जाना आवश्यक है। अपील के साथ अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील प्रस्तुत किये जाने की इजाजत प्रदान की जावे। अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाकर निर्णय

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना, जिला सीकर दिनांक 18.12.2021, प्रकरण संख्या 2946/2021 को निरस्त फरमाने की कृपा करे।

6. रेस्पोंडेन्ट संख्या 01 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2021 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 09.06.2025 से होना अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम में अंकित किया गया है। अपील जानकारी से अन्दर मियाद पेश की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम तथा प्रार्थना पत्र के संबंध में प्रस्तुत शपथ पत्र में अंकित तथ्यों पर विश्वास करते हुये माननीय उच्चतर न्यायालय द्वारा विलम्ब के प्रकरणों में नरमी का रूख अपनाते हुये गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने बाबत पारित नजीरों के आलोक में प्रकरण में नरमी का रूख अपनाते हुये, अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 कानून मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाकर विलम्ब को कण्डोन किया जाता है। अपीलांट को अपीलाधीन निर्णय में पक्षकार नहीं बनाया है। अपीलांट अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है, इसलियें अपील पेश करने का अधिकारी है। अपीलांट का प्रार्थना पत्र 96 सी.पी.सी. स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन एवं उभयपक्ष की बहस पर मनन से जाहिर होता है कि ग्राम पंचायत दरीबा, पंचायत समिति पाटन जिला सीकर द्वारा तहसीलदार नीमकाथाना को प्रेषित प्रस्ताव संख्या 05 दिनांक 06.10.2021 में ग्राम नानगवास में नानगवास जोहड़ी से कांकड़ के तिबारा की और आने–जाने वाला रास्ता को खसरा नम्बर 607 में से रास्ता काटा जाता है तो ग्राम पंचायत दरीबा को कोई आपत्ति नही होना बताया गया है। जिस पर दिनांक 17.10.2021 को भू0अ0नि0 टोडा के साथ तहसीलदार (भू.अ.) नीमकाथाना के दस्ती आदेश की पालना में पटवारी हल्का दरीबा द्वारा राजस्व ग्राम नानगवास में नानगवास जोहड़ से काकड़ का तिबारा की ओर जाने वाला रास्ता व्यक्तिगत नही है जिसका मौका देखा गया। उक्त रास्ता ग्राम नानगवास की भूमि ख.नं. 607 में पडता है। उक्त रास्ते की ख.नं. 607 से ख.नं. 607 तक चौड़ाई 6 मीटर तथा लम्बाई 290 मीटर है। उक्त रास्ता मौके पर चालू है, परन्तु राजस्व रिकार्ड में दर्ज नही है। इस रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध नही है। उक्त रास्ते का राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू.अ. नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 86 के प्रावधानों के अनुसार अंकन किये जाने हेतु फर्द मौका रिपोर्ट बाबत् रास्ता प्रस्तुत की गई है।

उक्त रिपोर्ट के आधार पर तहसीलदार (भू.अ.) नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा प्रशासन गांवों के संग अभियान कैम्प दरीबा में आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु राजस्व ग्राम नानगवास पटवार मण्डल दरीबा स्थित भूमि खसरा नम्बर 607 में रास्ता नानगवास जोहड़ी से कांकड़ के तिबारा की ओर तक का प्रस्ताव, राजस्व रिकार्ड मय नक्शा ट्रेस उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर को भिजवाया गया। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार तहसीलदार नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

भूमि में से प्रस्तावित रास्ते को गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज किये जाने के आदेश दिये गये है। गैर मुमकिन रास्ते की भूमि संबंधित खातेदार के खाते में ही रहेगी। संलग्न प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस के अनुसार राजस्व अभिलेख में जरिये नामान्तकरण रास्ता पृथक खसरा नम्बर अंकित करते हुये रास्ते के रकबा की किस्म गैर मुमकिन रास्ता दर्ज कर नक्शें में तरमीम की जावें। तहसीलदार नीमकाथाना द्वारा प्रस्तावित प्रस्ताव व नक्शा ट्रेस आदेश का भाग रहेगा तदानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु तहसीलदार नीमकाथाना को तहरीर जारी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2021 पारित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.12.2021 के तहत ऐसे प्रकरणों के निस्तारण हेतु निर्धारित प्रारूप में विधिक प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए प्रश्नगत रास्तों को बारहमासी तथा मौसम/ऋतुओं के अनुसार नहीं बदलने, आमजन के आने जाने हेतु उपलब्ध तथा सुचारू रूप से आवागमन होना करते हुए, राजस्व अभिलेख के स्थाई रूप से अंकन की अभिशंषा की गई है। केवल मौका स्थितिनुसार रास्ते का अंकन (तरमीम) होकर किस्म गै.मु. रास्ता दर्ज हुई है। फैसल रास्ता कई खसरा नम्बरान से गुजर रहा है। मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे। जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, भू.अ.निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2021 में किसी प्रकार की विधिक त्रुटि प्रतीत नहीं होती है। ऐसे में अधीनस्थ न्यायालय के अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.12.2021 में किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना, जिला सीकर द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय दिनांक 18.12.2021 को यथावत रखा जाता है।

(दीप्ति कछवाहा)
अति0 संभागीय आयुक्त
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय आज दिनांक 15.10.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर